तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.8.19	वकुलाय उपस्थित श्रीमान S.D.O. ... द्वारा दीगर आवश्यक राजकार्यों में व्यस्त ... इजलास होकर पत्रावली दिनांक 14/10/19 .....को पेश है। S.D.O. Pali	
14.10.19	वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण नाथी एवं रतनकंवर दोनो नर्मदा की पुत्रीया थी व नर्मदा की मृत्यु के समय दोनो पुत्रीया जिवित थी, प्रार्थी दिनेश रतनकंवर का पुत्र है, नर्मदा की पुत्री रतनकंवर का पुत्र होने के नाते कृषि भुमि का हकदार है। नर्मदा की मृत्यु के पश्चात सम्पूर्ण कृषि भुमि एक के नाम दर्ज हो गयी जबकि निर-वसीयत खातेदार की मृत्यु होने पर तमाम वारिसो में निहित होनी चाहिए। अतः अप्रार्थी समस्त प्रार्थी के हिस्से की कृषि भुमि का बेचान न करें न ही नर्मदा के हिस्से में आई भुमि बतौर वारिश प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 बिना बंटवारा कराये विशिष्ठ हिस्से/लोकेशन का बेचान हस्तान्तरण नही करें बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमावे। उपरोक्त बहस का वकील अप्रार्थीगण ने घोर विरोध किया। वकुलाय की बहस के दौरान पाया कि प्रार्थी ने यह कहीं पर भी सिद्ध नही कर पाया कि वह नर्मदा का विधिक वारिस है एवं रेकर्ड में सीधे ही नाथी का नाम कैसे आया बाबत कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नही है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रा.प. फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर पाली (राज.)	

Scanned by CamScanner